फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री आदित्य पाराशर निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झनु।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 16 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.04.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 25.03.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सम्पूर्ण जिले में कस्टोडियन लैंड कितनी है, मय खसरा नम्बर उपलब्ध करावें एवं उक्त भूमि में से कितनी भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है और आज दिनांक तक कितनी जमीन सवाई चक भूमि में परिवर्तित की गई है और किन नियमों के तहत की गई है, उक्त कार्यवाही की नियमावली की प्रमाणित प्रति एवं 20 वर्षों में की गई सवाई चक भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं कस्टोडियन लैंड या सवाई चक भूमि में से सरकारी या गैर सरकारी अलॉटमेन्ट की गई हो तो उक्त प्रक्रिया किस नियम के तहत की गई, उसकी नियमावली एवं की गई अलॉटमेन्ट भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 25.03.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सम्पूर्ण जिले में कस्टोडियन लैंड कितनी है, मय खसरा नम्बर उपलब्ध करावें एवं उक्त भूमि में से कितनी भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है और आज दिनांक तक कितनी जमीन सवाई चक भूमि में परिवर्तित की गई है और किन नियमों के तहत की गई है, उक्त कार्यवाही की नियमावली की प्रमाणित प्रति एवं 20 वर्षों में की गई सवाई चक भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं कस्टोडियन लैंड या सवाई चक भूमि में से सरकारी या गैर सरकारी अलॉटमेन्ट की गई हो तो उक्त प्रक्रिया किस नियम के तहत की गई, उसकी नियमावली एवं की गई अलॉटमेन्ट भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2024/104 दिनांक 26.03.2024 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में किसी [illegible] की कोई कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी स्तर पर अपेक्षित नहीं है। अतः [illegible] में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय स[illegible] सुनाया [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2024.05.28 18:12:29 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner